IN THE COURT OF A.D.J-X, KAIMUR AT BHABUA

Title Suit No. - 04/2016

दिनांक 20.04.2022	उभयपक्ष की ओर से हाजिरी है। वाद पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित हुए। अपीलार्थी मो0 शांति कुंवर की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 27.01.2021 आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं धारा– 151 सी.पी.सी. में मुख्य रूप से कथन किया गया है कि यह अपील न्यायालय सब जज द्वितीय, भभुआ के स्वत्व वाद संख्या–278/2011 में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2015 के डिक्री दिनांक 10.12.2015 के विरूद्ध दाखिल किया गया है। उत्तरवादी द्वारा वादग्रस्त दान पत्र संख्या–2371 दिनांक 28.04.1973 का निष्पादन नचकु बिन्द के मृत्यु दिनांक 10.12.72 के पश्चात् किया गया वो दान पत्र विधि–शून्य दस्तावेज है तथा उत्तरवादी एक जुट होकर वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य करने हेतु दिनांक 25.01.2021 को ईंट बालू गिट्टी इक्ट्ठा कर लिये हैं वो निर्माण कार्य करने की धमकी दे रहे है। अपीलार्थी का आगे यह भी कथन है कि यह प्रथम दृष्टया मामला है वो सुविधा का संतुलन भी अपीलार्थी के पक्ष में है तथा यदि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी को बेदखल कर उत्तरवादीगण निर्माण कार्य करने में सफल हो जाते हैं तो अपीलार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि बजरिये अस्थायी व्यादेश द्वारा वाद के निष्पादन तक वादग्रस्त अनुसूचित क भूमि पर निर्माण कार्य करने के उत्तरवादी को तत्काल रोका जाय। उक्त आवेदन पर उत्तरवादी की ओर से कारण पृच्छा दाखिल कर यह कहा गया है कि आवेदकगण का आवेदन दिनांक 27.01.2021 कानूनतः पोषणीय नहीं है। यह वाद सन् 2011 में संस्थित किया गया था तथा वादी अपीलार्थी के द्वारा सन् 2016 में अपील दाखिल किया गया, परन्तु कहीं भी यह नहीं कहा गया कि प्रतिवादीगण संपत्ति का विक्रय करना चाहते है। उत्तरवादी का यह भी कथन है कि वे अपील का अंतिम सुनवाई चाहते है, परन्तु अपीलार्थी किसी से किसी रूप से अपील को लंबित रखना चाहते है, जिसका स्पष्ट प्रमाण है कि दिनांक 04.06.2018 को एवं दिनांक 21.10.2019 को भी अपीलार्थी वादीगण के द्वारा इसी प्रकार का आवेदन दाखिल किया गया था। विवादित भूमि पर भवन अस्तित्व में है तथा आवेदकगण का यह कहना है कि भवन निर्माण के लिए सामग्री जमा किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। खाता नंबर–389, प्लॉट नंबर–3447, रकबा–10 डिसमिल जो अखलासपुर के मड़ई गांव में स्थित है, का भू–अभिलेख नचकू विन्द के नाम से निर्मित है एवं रामगति बिन्द एवं राजमति देवी से एक लड़का नचकू बिन्द एवं एक लड़की कुलनी देवी हैं। नचकू की दो पत्नियॉ सुदामी देवी एवं गंगादेई देवी थी, जिनसे क्रमशः दो पुत्र रामबिलास एवं अर्जुन हुए। रामगती देवी करीब 59 वर्ष पूर्व अपनी पत्नी, पुत्र एवं पुत्री को छोड़कर मर गये, जिसके बाद राजमतिया एवं नचकू बिन्द, एक निबंधित दानपत्र संख्या–2371 दिनांक 28.04.1973, खाता संख्या–389, प्लॉट–3447 में दो डिसमिल भूमि कुलनी देवी के पक्ष में निष्पादित किये। कुलमी देवी ने उक्त भूमि हेतु निबंधित ब्रिकय विलेख संख्या–2653 दिनांक 24.01.2011 अपनी पुत्री पार्वती देवी के पक्ष में निष्पादित कर दिया, जिसके बाद पार्वती देवी के नाम से रजिस्टर्ड–दो

	निर्मित हुआ और नामांतरण भी हो गया। इस प्रकार अपीलार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के अवयव नहीं है। अत : अपीलार्थी के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 27.01.2021 आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं धारा– 151 सी.पी.सी. खारिज होने के योग्य है। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी शांति कुंवर के द्वारा यह अपील, स्वत्व वाद संख्या–278/2011 सी0आई0एस0 संख्या–816/2014 में सब जज–दो भभुआ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2015 एवं डिक्री दिनांक 10.12.2015 से विक्षुब्ध होकर दाखिल किया गया है। स्वत्व वाद संख्या–278/2011 वादी के द्वारा इस अनुतोष हेतु दाखिल किया गया था कि प्रतिवादी संख्या–2 के द्वारा प्रतिवादी संख्या–1 के पक्ष में निष्पादित विक्रेय विलेय संख्या–653 दिनांक 24.01.2011 को शून्य घोषित कर दिया जाए। उक्त वाद में अवर न्यायाधीश–द्वितीय, भभुआ के द्वारा दिनांक 30.11.2015 को यह निर्णय पारित किया गया कि वादिनी का वाद संसघर्ष बिना खर्चा का खारिज किया जाता है। अपने निर्णय में विद्वान निम्न न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि वादिनी यह साबित नहीं कर पाई है कि कुलनी देवी के पक्ष में किया गया हिब्बानामा जाली और फरेबी है, वादिनी के द्वारा यह भी साबित नहीं किया गया है कि वादपत्र के अनुसूची 'क' में अंकित जमीन व मकान किस प्रकार से वादिनी को प्राप्त हुआ। इस प्रकार न्यायलय का यह मत है कि कुलनी देवी के पक्ष में किये गये हिब्बानामा के आधार पर इसने जो केवाला वसीका संख्या–653 दिनांक 24.01.2011 अपने पुत्री के पक्ष में निष्पादित की है, वह अभी तक अस्तित्व में है। उत्तरवादीगण के कथनानुसार उक्त केवाला के आधार पर रजिस्टर्ड–2 भी क्रेता के नाम से बन गया है। अतः अपीलार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के अवयव दृष्टिगोचर नहीं होते है। अतः अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 27.01.2021 आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं धारा– 151 सी.पी.सी. को खारिज किया जाता है। लेखापित ह0/– अपर सत्र न्यायाधीश–दशम् कैमूर, भभुआ